विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 190 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/46
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1001969119**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

अनावेदकगण

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के सड़क बत्ती हेतु स्थापित 1 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 26.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1001969119 से संबंधित सड़क बत्ती विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/46 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग श्रीमती लोहाया उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित बिलिंग अभिलेख, पिछले तीन वर्षों के गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1001969119 में स्थापित पुराने EMCO मीटर को दिनांक 23.08.2025 को स्मार्ट मीटर से प्रतिस्थापित किया गया। पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 266754 थी, जबकि बिलिंग 264684 तक की गई थी। शेष 2056 यूनिट की अतिरिक्त बिलिंग की गई। पुराने मीटर में डंपउनउ क्मउंदक (डक) एवं व्मूमत ब्वजवत (PF) दर्ज नहीं होते थे, इसलिए उस अवधि में एम.डी. एवं पी.एफ. का निर्धारण नहीं किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात एम.डी. एवं पी.एफ. की रीडिंग दर्ज की जा रही है तथा नियमानुसार पावर फैक्टर अधिक होने पर छूट भी प्रदान की जा रही है।

3. फोरम का परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, मीटर रीडिंग, बिलिंग गणना पत्रक एवं पक्षकारों के कथनों का परीक्षण करने पर फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है–

1. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि पुराने मीटर में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में जिस अवधि में पी.एफ. रीडिंग उपलब्ध नहीं है, उस अवधि के लिए पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना प्रचलित टैरिफ प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यदि ऐसी अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज वसूल किया गया है, तो उसका परीक्षण कर नियमानुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2. स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात माह सितम्बर 2025 में 7 किलोवाट, अक्टूबर 2025 में 7 किलोवाट तथा नवम्बर 2025 में 10 किलोवाट अधिकतम मांग (डक) दर्ज हुई है। प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार अनुबंधित भार से लगातार अधिक अधिकतम मांग दर्ज होने पर वितरण कंपनी द्वारा नियमानुसार स्व–भार निर्धारण (Load Regularisation/Self Determination) की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था। अभिलेखों से ऐसी कार्यवाही किए जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

3. पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर की रीडिंग का परीक्षण करने पर ऊर्जा मापन अथवा मीटर रीडिंग में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई। अतः मीटर द्वारा दर्ज ऊर्जा खपत सही पाई गई।

अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता है–

1. अनावेदक पुराने मीटर की अवधि, जिसमें पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी, उस अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है उसे प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार संशोधित करते हुए आवश्यक संशोधित विद्युत देयक 30 दिवस के भीतर जारी करें।

2. अनावेदक माह सितम्बर 2025 से नवम्बर 2025 तक दर्ज अधिकतम मांग (डक) का परीक्षण कर प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार अनुबंधित भार के स्व–निर्धारण/पुनर्निर्धारण की कार्यवाही करें तथा उसका लाभ अथवा प्रभाव नियमानुसार उपभोक्ता को प्रदान करें।

3. प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर मीटर रीडिंग एवं ऊर्जा मापन में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अनियमितता सिद्ध नहीं होती। अतः इस संबंध में आवेदक का दावा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त मदों में की गई अतिरिक्त राशि की वसूली को आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

4. समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

6. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

7.यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग